प्रेस नोट दिनाँक-20.08.2020

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण/बिक्री एवं अवैध परिवहन का रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अबियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों को 30 लीटर कच्ची शराब, 50 किलो लहन व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया।

(क). वरि0उ0नि0 श्री अशोक कुमार निगम थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा वहद ग्राम औलहा बढ़ौया से अभियुक्त कामता पुत्र बिहारी निवासी औलहा बढ़ौया थाना मानिकपुर को 10 लीटर कच्ची शराब, 30 किलो लहन व शराब बनाने के उपकरण के साथ तथा वहद ग्राम चमरौहा से अभियुक्त जुग्गी कोल पुत्र कल्लू कोल निवासी चमरौहा थाना मानिकपुर को 10 लीटर कच्ची शराब महुआ निर्मित, 20 किलो लहन व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया । बरामदशुदा लहन को मौके पर नष्ट किया गया ।अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये।

बरामदगीः-

1. 30 लीटर कच्ची शराब महुआ निर्मित
2. शराब बनाने के उपकरण

बरामदगी करने वाली टीमः-

1. वरि0उ0नि0 श्री अशोक कुमार निगम थाना मानिकपुर
2. उ0नि0 श्री अनिल कुमार साहू
3. उ0नि0 श्री अवधेश कुमार मिश्रा
4. उ0नि0 श्री सुरेश कुमार
5. आरक्षी अरविन्द्र मौर्या
6. आरक्षी धर्मराज
7. आरक्षी संजय कुमार

(ख). उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा बछरन मोड़ वहद ग्राम बछरन से अभियुक्त रामकिशन उर्फ छोटा पुत्र लाला प्रसाद निवासी बछरन थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब महुआ निर्मित के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 106/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

10 लीटर कच्ची शराब

बरामदगी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना पहाड़ी
2. आरक्षी दिनेश कुमार

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 09 अभियुक्तों के विरूद्ध 03 यू0पी0 गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

(i). श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ द्वारा भोली भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा गर्दी करने वाले अभियुक्त 1. राकेश पुत्र शिवधारी निवासी पिपरौंद 2. वीरेन्द्र पुत्र कैरा निवासी भैरमपुरवा 3. लवलेश पाल पुत्र चिप्पू निवासी बसरेही 4. जगनारायण मिश्रा पुत्र विजय नारायण निवासी मऊ 5. बबलू उर्फ बुद्धराज पुत्र शिवप्रसाद निवासी गढ़वा 6. रामू उर्फ शशि कुमार पुत्र राजकुमार निवासी खपटिया 7. अनिल द्विवेदी पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(ii). श्री रविप्रकाश प्रभारी निरीक्षक थाना बरगढ़ द्वारा भोली भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा गर्दी करने वाले अभियुक्त (1) बब्लू उर्फ विमल कुमार पुत्र उमाशंकर उर्फ हीरामणि निवासी हड़हा (2) मोनू उर्फ अकरम पुत्र रफीक खां निवासी कस्बा व थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट के विरूद्ध 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री धर्मराज यादव प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 149/19 धारा 409/467/468/471/429/504/506/323 भादवि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के वाँछित अभियुक्त (1) सुरेशचन्द्र पुत्र नाथूराम निवासी गढ़वा थाना मऊ जनपद चित्रकूट (2) देवीदयाल पुत्र ननकाई निवासी इटवा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी थाना रैपुरा
2. आरक्षी सत्येन्द्र कुमार

(4). जनपद चित्रकूट पीआरवी 4425 थाना मऊ अंतर्गत दिनाँक 19/08/2020 को समय 13:31 बजे इवेंट संख्या 5070 द्वारा घटनास्थल ग्राम पूरा थाना मऊ से कॉलर द्वारा सूचना दी गयी कि सड़क दुर्घटना हो गयी है, इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को जानकारी हुई कि एक बोलेरो गाड़ी में एक मरीज को लेकर प्रयागराज जा रहे थे तभी पूरा गांव के पास एक अनियंत्रित डम्फर से टकरा गई जिससे 05 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पीआरवी कर्मियों ने घटना के संबंध में थाना प्रभारी मऊ को भी बताया और पीआरवी 2050 भी इवेंट नंबर 5211 सेम सूचना पर घटनास्थल पर आ गई। सभी घायलो को पीआरवी वाहन व एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य अस्पताल मऊ में भर्ती कराया गया है घटनास्थल को थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया।

पीआरवी स्टाफ 4425

कमांडर - आरक्षी विनोद कुमार

पायलट – हो0गा0 राजुल प्रसाद

पीआरवी स्टाफ 2050

कमांडर – मुख्य आरक्षी शिव कुमार

सब कमांडर - आरक्षी भानु प्रताप

महिला आरक्षी - शिल्पा पांडेय

महिला आरक्षी - शिखा सिंह

पायलट – हो0गा0 भरत लाल

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में वरि0उ0नि0श्री अशोक कुमार निगम थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा भांग की दुकान की आड़ में गांजा बेच रहे एक अभियुक्त को 300 ग्राम खुला एवं 41 पुड़िया गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

आज दिनाँक 20.08.2020 को वरि0उ0नि0 श्री अशोक कुमार निगम थाना मानिकपुर को सूचना प्राप्त हुयी कि मानिकपुर बस स्टैण्ड स्थित भांग की दुकान में गांजे की बिक्री की जा रही है। इस सूचना पर वरि0उ0नि0 स्वयं सादे कपड़ो में दुकान पर पहुंचे और गांजे खरीदने हेतु दुकान पर गये और दुकान में बैठे युवक से गांजा मांगा तो उसने गांजे की पुड़िया निकाल कर दी, इस पर आप पास मौजूद पुलिस बल को इशारा दिया गया और दुकान के अन्दर गांजा बेच रहे युवक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त ने अपना नाम हिमान्शु द्विवेदी पुत्र मानधर द्विवेदी निवासी बिहरिया मोड थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज बताया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के कब्जे से 300 ग्राम सूखा एवं 41 पुड़िया गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपर में मु0अ0सं0 104/2020 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

300 ग्राम सूखा एवं 41 पुड़िया गांजा

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. वरि0उ0नि0 श्री अशोक कुमार निगम थाना मानिकपुर
2. उ0नि0 श्री अनिल कुमार साहू
3. आरक्षी अरविन्द कुमार मौर्य
4. आरक्षी संजय कुमार सरोज

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन मे अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वरि0उ0नि0 श्री अशोक कुमार निगम थाना मानिकपुर व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त शनि कुमार पुत्र सन्तराम व सशील कुमार पुत्र ब्रजराज निवासीगण छेरिहा खुर्द थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 16/17.08.2020 की रात्रि प्रेमिका के विवाद को लेकर ग्राम छेछरिया थाना मारकुण्डी के कुछ युवकों द्वारा ग्राम रामपुर में ललित पुत्र शंकर यादव निवासी रामपुर को अवैध तमंचा व नकली तमंचा के साथ मारपीट करने के उद्देश्य से घेर लिया था, ग्राम वासियों की लामबंदी के कारण सफल नहीं हो सके। उक्त सूचना पर थाना मानिकपुर में मुकदमा धारा 352/504/506 भादवि0 पंजीकृत किया गया। आज दिनाँक 20.08.2020 की शाम वरि0उ0नि0 थाना मानिकपुर को मुखबिर द्वारा सूचना पर उक्त घटना में सम्मिलित अभियुक्त शनि कुमार पुत्र सन्तराम व सशील कुमार पुत्र ब्रजराज निवासीगण छेरिहा खुर्द थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। घटना में सम्मिलित तीन अभियुक्तों को पूर्व में अवैध तमंचा कारतूस व नकली तमंचा के साथ गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. व0उ0नि0 श्री अशोक कुमार निगम थाना मानिकपुर
2. उ0नि श्री अनिल कुमार साहू
3. उ0नि0 श्री सुरेश कुमार यादव
4. आरक्षी अरविन्द कुमार मौर्य

कृपया अपर मुख्य सचिव गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन महोदय के आदेशानुसार निम्न तीनों सूचनाएं दिनांक-21/08/20 की सांय-05.00 बजे तक प्रत्येक दशा में ईमेल-(1)-amitabh0570@gmail.com, (2)-amitabh.13815@nic.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (1)-107/116 crpc की सूचना प्रारूप ए एवं बी की दिनांक-01/01/20 से 21/08/20 तक की क्रमिक तथा दिनांक- 16/06/20 से 21/08/20 तक की प्रश्नगत सूचना,(2)-गैंग्स्टर एक्ट की दिनांक-01/01/20 से 21/08/20 तक की क्रमिक तथा दिनांक-26/06/20 से 21/08/20 तक की प्रश्नगत सूचना (3)-188 ipc, 15(3), 15(4), 15(5) की दिनांक-21/08/20 तक की सूचनाएं